

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 01.06.2018

क्रमांक एफ-10-29/2013/वाक/पांच (43) - केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने नवीन लघु उद्योग/मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रो मेगा प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई की स्थापना आटोमोटिव उद्योग (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यवसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन आटो कंपोनेंट्स/आटो पार्ट्स आदि) की श्रेणी में की हो अथवा इसी श्रेणी में राज्य में स्थित विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया या शक्तीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन किया हो या आटोमोबाइल उद्योग की सहायक इकाई हो को उनके द्वारा किये गये अंतर्राज्यीय विक्रय कर पर अधिरोपित किये जाने वाले केन्द्रीय विक्रय कर में छूट की पात्रता अवधि में केन्द्रीय विक्रय कर दर में 50 प्रतिशत की छूट, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से माल और सेवा कर अधिनियम लागू होने के पूर्व दिनांक 30 जून, 2017 तक, प्रदान करता है।

इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया, परिभाषा व शर्तें वहीं होगी जो वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2013/वाक/पांच (37) दिनांक 29.05.2013 में अधिसूचित की गई है। केन्द्रीय विक्रय कर छूट प्रमाण पत्र प्रपत्र "ख" में जारी किया जाएगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1 नवंबर, 2012 से प्रभावशील होगी तथा "आटोमोटिव उद्योग नीति 2012" के अंतर्गत आटोमोटिव उद्योगों (दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यवसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट/आटो पार्ट्स आदि) की श्रेणी में आने वाले उद्योग जिन्होंने दिनांक 1 नवंबर, 2012 को/के पश्चात व 30 जून, 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले पात्र नवीन उद्योगों एवं विद्यमान उद्योगों के विस्तार तथा शक्तीकरण, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन पर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(संगीता पी.)

विशेष सचिव

प्रपत्र "ख"
केन्द्रीय विक्रय कर छूट प्रमाण पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (नाम व पता) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक का धारक व्यवसायी आटोमोटिव उद्योगों की श्रेणी में अपनी नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तारित/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन क्षमता के संदर्भ में केन्द्रीय विक्रय कर दर में प्रचलित दर में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का हकदार है।

2- व्यवसायी ने आटोमोटिव उद्योगों की श्रेणी में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है अथवा शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन किया है व निर्मित उत्पाद उसके छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

3- व्यवसायी ने नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार क्षमता/शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक.....को प्रारंभ किया है।

4- औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता -

(क) नवीन औद्योगिक इकाई-

- 1- उत्पाद
- 2- वार्षिक उत्पादन क्षमता

(ख) विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार-

- 1. उत्पाद
- 2. विस्तार के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता
- 3. विस्तार के पश्चात वार्षिक उत्पादन क्षमता
- 4. विस्तारित उत्पादन क्षमता

(ग) शवलीकरण/बैकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन-

- 1. उत्पाद
- 2. वार्षिक उत्पादन क्षमता

5- इकाई का व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक है। अतः यह व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन

(वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 18 वर्ष की अवधि हेतु केन्द्रीय विक्रय कर में तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत छूट की पात्रता रखता है।

6- यह प्रमाण पत्र दिनांक से दिनांक तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की अवधि के लिये प्रभावशील है।

7- यह प्रमाण पत्र वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2013/वाक/पांच (37) दिनांक 29.05.2013 में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अधीन है तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उनके अधीन बनाये गये उपबंधों का उल्लंघन होने की दशा में निरस्तीकरण किये जाने के अधीन है।

स्थान

दिनांक

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र